

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश  
( पेंशन अनुभाग )

पत्रांक-पेंशन / / समाधान-दिवस 2019-20 / दिनांक: लखनऊ : 21 जनवरी, 2020

1-समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक,  
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।

2-समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक,  
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।

3-समस्त अनुभागाध्यक्ष, कृषि निदेशालय,  
कृषि भवन, लखनऊ।

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक/पेंशन-72(शा0) दिनांक 20-11-2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो शासन के पत्र संख्या-1019/12-4-2019-1701/2019/कृषि अनुभाग-4 दिनांक-25-10-2019 (छाया प्रति संलग्न) के सन्दर्भ में कृषि विभाग के अन्तर्गत समूह "ग" एवं समूह "घ" के पदों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लम्बित देयों के भुगतान के संबंध में वर्ष-2020 में समाधान दिवस का आयोजन जनपद स्तर पर निम्न तिथियों पर कराये जाने के सम्बन्ध में है।

1. माह फरवरी 2020 का तीसरा शनिवार दिनांक 22-02-2020

2. माह अगस्त 2020 का तीसरा शनिवार दिनांक 22-08-2020

उपरोक्त तिथियों में शासन के निर्देशानुसार समाधान दिवस के आयोजन हेतु निर्देश निम्नवत है:-

1- मण्डल स्तर पर समाधान दिवस का आयोजन संयुक्त कृषि निदेशक के स्तर पर किया जायेगा।

2- जनपद स्तर पर समाधान दिवस का आयोजन उप कृषि निदेशक के स्तर पर किया जायेगा।

3- मुख्यालय स्तर पर समाधान दिवस का आयोजन अपर निदेशक, (प्रशासन) के स्तर से किया जायेगा।

4- उक्त समाधान दिवस के सफल आयोजन किये जाने हेतु सम्बन्धित मण्डल/जनपद में दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5- विभाग से सेवा निवृत्त समूह ग एवं घ के ऐसे समस्त कार्मिक जिनके सेवा नैवृत्तिक देयक लम्बित है, उन्हें अपना आवेदन पत्र/पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया जाय।

6- अब तक जितने कार्मिकों के सेवानिवृत्त/मृत्यु के फलस्वरूप देय लम्बित है अथवा पूर्व में आयोजित समाधान दिवस दिनांक 16-02-2019 एवं 17-08-2019 के अवशेष लम्बित प्रकरणों का निस्तारण दिनांक 30-11-2020 तक सुनिश्चित किया जाय।

7- समाधान दिवस हेतु जिन कार्मिकों द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाएंगे उनके प्राप्ति की सूचना सम्बन्धित कार्मिक को अवश्य उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसकी सूचना/प्रति विशेष सचिव, (कृषि) अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जायेगी।

8- समस्त निस्तारित प्रकरणों की संकलित सूचना वित्त नियंत्रक/शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी, जिनके द्वारा सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्तानुसार लम्बित प्रकरणों की सुनवाई एवं उनके निस्तारण हेतु जिलेवार कैम्प लगाया जाना सुनिश्चित करें तथा समाधान दिवस का सम्यक प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित कराये। दिनांक 22-02-2020 को आयोजित किये जाने वाले समाधान दिवस में प्राप्त व निस्तारित प्रकरणों की जिलेवार संकलित सूचना वित्त नियंत्रक कृषि निदेशालय की ईमेल ([fcagriup@gmail.com](mailto:fcagriup@gmail.com)) पर दिनांक 24-02-2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि शासन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(रमेश चन्द्र राय)

वित्त नियंत्रक,  
कृषि निदेशालय, उ०प्र०

पत्रांक-पेंशन/ 284-67

दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, कृषि अनुभाग-4 सचिवालय, लखनऊ।

2-अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) कृषि भवन, लखनऊ।

3-समस्त टास्क फोर्स ऑफीसर कृषि विभाग को संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन) के माध्यम से इस आशय से कि अपने से सम्बन्धित मण्डल के भ्रमण के समय उक्त का परिपालन सुनिश्चित करायें।

4- संयुक्त कृषि निदेशक(ब्यूरो) को उपरोक्त समाधान दिवस के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।।

5- सहायक निदेशक(समन्वय एवं कम्प्यूटर) को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।



(रमेश चन्द्र राय)

वित्त नियंत्रक,  
कृषि निदेशालय, उ०प्र०।

1/11  
2:50

4-11-2019

समयबद्ध / प्राथमिकता  
संख्या-10/9 / 12-4-2019-1701 / 2019

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 25 अक्टूबर, 2019

विषय:- कृषि विभाग से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लम्बित सेवानैवृत्तिक देयों हेतु समाधान दिवस के आयोजन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-12/12-4-2019-1701/2019, दिनांक 08 जनवरी, 2019 का कृपया संदर्भ का ग्रहण करने का कष्ट करें।


2- इस संबंध में अवगत कराना है कि कृषि विभाग के अन्तर्गत समूह "ग" एवं समूह "घ" के पदों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लम्बित देयों के भुगतान के संबंध में आयोजित किए गए समाधान दिवस दिनांक 16.02.2019 एवं 17.08.2019 के उपरान्त भी कई प्रकरण लम्बित हैं।

3- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग के अन्तर्गत समूह "ग" एवं समूह "घ" के पदों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लम्बित देयों के भुगतान के संबंध में वर्ष-2020 में समाधान दिवस का आयोजन जनपद स्तर पर निम्नवत तिथियों पर कराए जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. माह फरवरी 2020 का तीसरा शनिवार दिनांक 22.02.2020
2. माह अगस्त 2020 का तीसरा शनिवार दिनांक 22.08.2020

कृपया शासनादेश दिनांक 08 जनवरी, 2019 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा समाधान दिवस निर्धारित तिथि पर आयोजित कराते हुए लम्बित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता पर कराने के साथ कृत कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर समाधान दिवस सम्पन्न होने के एक सप्ताह के उपरान्त शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


  
(बृजराज सिंह यादव)  
विशेष सचिव।

संख्या- (1) 12-4-1701 / 2019-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, उ0 प्र0।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा, विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4. संयुक्त कृषि निदेशक, प्रयागराज।
5. समस्त उपकृषि निदेशक, उ0 प्र0 (नोडल अधिकारी)।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

  
(यतीन्द्र कुमार)  
उप सचिव

F. C

30.10.19  
कृषि निदेशक  
उत्तर प्रदेश।

AAO(P)

वि० नि० शि०-226  
01/11/19

5019

मन्त्रालय  
22  
4.11.19